RJPP, Vol. 15, No. 2, 2017, ISSN (P) : 0976-3635, (e) :2454-3411, Impact Factor 4.0000 (ICRJIFR)

UGC Approved Journal No. 43279

भारतीय सविधान एवं महिलाएँ

डॉ0 कमलेश भारद्वाज

एसो0 प्रोफे0, समाजशास्त्र विभाग, एस0 डी0 कालेज गाजियाबाद (उ0प्र0)

सारांश

lo'gkjk oxZ rc rd LorU=rk ikIr ugh dj ldrk g tc rd fd efgykvk d fy, i.k LorU=rk ikIr u dj y A ;fn efgykvk dk jktuhfr e] lkoZtfud dk;k e lfEefyr ugh fd;k tkrk] mUg jlkb dh ?kVu l ckgj ugh fudkyk tkrk] mUg cjkcj dk ntk ikIr ugh gkrk] rc rd okLrfod LorU=rk dh ckr djuk vlEHko gkxk] tuokn dh LFkkiuk djuk Hkh vlEHko gkxk] lektokn dh ckr rk njA

viuh mijkDr lkp d dkj.k yfuu u lcl igy fdlku etnjk d iR;{k lxBuk l vyx ukjh lxBu cuku dh ckr dgh FkhA mud ur'Ro e :l dh ckY'kfod ikVh e LorU= efgyk leg dk fuek.k gvk FkkA ;gh nkj Fkk tc fo'o dE;fuLV vkUnkyu e Hkh iFke ckj efgyk ennk ij ,d LorU= <kp d rgr yMu dh 'k:vkr gbA

शोधपत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः

डॉ0 कमलेश भारद्वाज, "भारतीय सविधान एवं महिलाऍ", RJPP 2017, Vol. 15, No.2, pp. 57-62
http://anubooks.com/?page_id=2004
Article No.9 (RP558)

प्रस्तावना

सर्वहारा वर्ग तब तक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि महिलाओं के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त न कर ले। यदि महिलाओं को राजनीति में, सार्वजनिक कार्यो में सम्मिलित नहीं किया जाता, उन्हें रसोई की घुटन से बाहर नहीं निकाला जाता, उन्हें बराबर का दर्जा प्राप्त नहीं होता, तब तक वास्तविक स्वतन्त्रता की बात करना असम्भव होगा, जनवाद की स्थापना करना भी असम्भव होगा, समाजवाद की बात तो दूर।

अपनी उपरोक्त सोच के कारण लेनिन ने सबसे पहले किसान मजदूरों के प्रत्यक्ष संगठनों से अलग नारी संगठन बनाने की बात कही थी। उनके नेतृत्व में रूस की बोल्शेविक पार्टी में स्वतन्त्र महिला समूह का निर्माण हुआ था। यही दौर था जब विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन में भी प्रथम बार महिला मुद्दों पर एक स्वतन्त्र ढ़ाचे के तहत लड़ने की शुरूआत हुई।

भारतीय संविधान में भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाया गया है जिसका अर्थ है कि राज्य प्रत्येक नागरिक के कल्याण के लिए कार्य करेगा और समाज के कमजोर वर्गो और महिलाओं के उत्थान व विकास के लिए विशेष प्रयत्न करेगा।

इसके अलावा संविधान के चौथे भाग में 'नीति निर्देशक तत्वों' का जिक्र किया गया है जो सीधे–सीधे महिलाओं के अधिकारों और विकास से सम्बन्धित है। यदि हम सरकार द्वारा बनाई गयी महिला विषयक नीतियों और उसके द्वारा किये गये फैसलों की मीमांसा करें तो पता चलता है कि सरकारी स्तर पर महिलाओं के विकास के लिए अनेक योजनाएँ बनायी गयी है। संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की एक सामान्य एवं व्यापक व्यवस्था प्रदान करता है। यह विशेषीकरण पर आधारित न होकर सामान्य सिद्धान्तो पर आधारित है। अनुच्छेद 14 के उपबन्ध सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वे नागरिक हों या गैर नागरिक ।

आजादी की लड़ाई में महिलाओं की बड़ी भारी सहभागिता थी। शताब्दी के पूर्वाध में स्थापित सभी महिला संगठनों ने महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग की तथा बहुत हद तक वे अपने प्रयासों में सफल रही और भारत के संविधान में महिलाओं के लिए अनेक प्रावधानों की व्यवस्था की गयी। भारतीय संविधान का मानवीय सार सामाजिक न्याय है। अपनी प्रस्तावना में, संविधान व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, स्वतन्त्रता, समानता तथा स्त्री या पुरूश प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करना तय किया है। भारतीय संविधान में स्थानीय संस्थाओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के लिए प्रचुर अवसर प्रदान किये गये है। ''संविधान के द्वारा महिलाओं को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऐसे ही समान अधिकार दिये गये है, जिनका प्रयोग महिलाओं द्वारा अपनी सक्रियता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। चूँकि राजनीतिक सक्रियता का सीधा सम्बन्ध महिलाओं को अपने संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के प्रति चेतना के स्तर के साथ जुड़ा हुआ है।''1

'' राजनीति सक्रियता के द्वारा नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप, संगठन एवं उनके क्रियाकलापों तथा विभिन्न अव्यवों की जानकारी प्राप्त होती है। राजनीतिक सक्रियता और जागरूकता किसी भी समाज का एक विशेष गुण है जो उस समाज के सदस्यों के राजनीतिक दर्ष्टिकोणों तथा राजनीतिक रूझानों को अर्थ पूर्ण ढ़ंग से अभिव्यक्त करता है। ''2

''धर्म की रक्षा के नाम पर नारी को इतने अधिक सामाजिक बन्धनों में जकड़ दिया गया कि उसके स्वतन्त्र अस्तित्व का निशान ही न रहा, बालिकाओं की शिक्षा समाप्त हो गयी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, एवं सती प्रथा जैसी कुरीतियों का जन्म हुंआ।''3 चूँकि सामाजिक कुरीतियों से सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएँ ही थी। अतः धर्म सुधारकों व सामाजिक चिन्तकों का ध्यान नारी की दयनीय स्थिति की ओर जाना स्वाभाविक ही था। ''नारी को आत्महीनता एवं दयनीयता से उबारने के कारण नारी प्रत्येक सुधार आन्दोलन की केन्द्र बिन्दु बन गयी व उनके सुधार के लिए किये गये आन्दोलनों का सुखद परिणाम आज हमारे सामने है।''4

वस्तुतः भारतवर्ष मे नारी मुक्ति का प्रश्न भारतीयता के पुनर्निमाण के साथ जुड़ा रहा है और उसी सन्दर्भ मे पुरूषों द्वारा स्त्रियों की दशा मे सुधार के प्रयास किये गये। ''पुनर्जागरण काल में नारी जाग्रति और नारी उत्थान के लिए आवाज उठाने वाले महान नेता व समाजसुधारक पुरूष ही थे। नई परिस्थतियों में भी जब कभी महिला असन्तोश की आवाज उठाती है तो परिवर्तन के इच्छुक पुरूष, विचारक नेता न केवल उसका स्वागत करते हैं, बल्कि अपने प्रयत्नों से उसे बल भी प्रदान करते है।'' 5

स्वतन्त्रता संग्राम एवं भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान महिलाओं की वैधानिक समानता पर विचार विमर्श एवं हिन्दू कोड बिल विचार विमर्ष के महत्वपूर्ण मुद्दे रहे। वाद विवाद का मुख्य विषय यह था कि ''महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र मे पुरूषों के समकक्ष नहीं स्वीकार की जाती हैं, इस भेदभाव को प्रभावशाली तरीके से कम किया जाना चाहिए, अगर यह दूर नहीं हो सकता तो उसके लिए पर्याप्त कारगार कानून बनाये जायें और उन्हें लागू करने के लिए प्रभावी व्यवस्था का भी प्रावधान हो। फिर स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान में सुस्पष्ट, वैधानिक पहल वैधानिक सुधारों के लिए की गयी, उसके तहत हमारा संविधान कानून के क्षेत्र में महिलाओं को बेहतर वैधानिक प्रस्थिति देने का वचन देता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कई ऐसे कानून बनाये गये जो कि महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे, और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों और भेदभाव को समाप्त करने वाले थे। संविधान के विभिन्न अनुच्छेद और महिलाओं हेतु प्रावधान इस प्रकार है –

अनुच्छेद 14 – राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। चाहे वह महिला हो या पुरूष।

अनुच्छेद 15 – धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।

अनुच्छेद 16 – सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता।

अनुच्छेद 19 – समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता।

अनुच्छेद 23, 24 – नारी क्रय विक्रय तथा बेगार प्रथा पर रोक।

अनुच्छेद 39 (क) – स्त्री पुरूष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गयी है।

अनुच्छेद 42 – महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता।

अनुच्छेद 47 – लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व।

अनुच्छेद 51 – प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है।

अनुच्छेद 243 (घ) (न) – पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाओं में 73 वें, 74वें संषोधन के माध्यम से महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था।

महिलाओं से सम्बन्धित प्रमुख अधिनियम –

भारतवर्ष में प्राचीन काल में महिलाओं से सम्बन्धित अनेक समस्याएँ थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए समाज सुधारकों के प्रयास से बिट्रिश सरकार द्वारा कुछ अधिनियम पारित किये गये। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने विवाह, परिवार, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, सम्पत्ति अधिकार एव ंदहेज आदि से सम्बन्धित अनेक अधिनियम पारित किये। उनमें से कुछ प्रमुख अधिनियम इस प्रकार है –

बागान अधिनियम 1951 – महिला कर्मियों को अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए अवकाश दिया जाना।

खान अधिनियम 1952 – भूमिगत खानों में महिलाओं के नियोजन पर रोक लगाना।

विशेष विवाह अधिनियम 1954 – कोई महिला अपना धर्म परिवर्तन किये बिना किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकती है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 – यह अधिनियम महिलाओं को पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्रदान करता है।

अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 संषोधन 2006 – अनैतिक व्यापार अधिनियम जीवन यापन के संगठित साधन के रूप में वैश्यावृत्ति के उद्देश्य से महिलाओं तथा लड़कियों के व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाता है। किसी लड़की को वैश्यावृत्ति के लिए फुसलाना, बाध्य करना, नजरबन्द रखना दण्डनीय अपराध है।

कारखाना संशोधित अधिनियम 1976 – इस अधिनियम के अनुसार जहॉ 30 महिलाएँ (जिसमें आकस्मिक श्रमिक या ठेके पर श्रमिक शामिल है) कार्यरत है वहॉ पालना घरों की व्यवस्था की जायेगी।

समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 – इस अधिनियम में (क) पुरूष तथा महिला कामगारों के लिए समान पारिश्रमिक के भुगतान (ख) रोजगार के मामले तथा इनसे जुड़े या समान महत्व वाले अन्य मामलों में, महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव रोकने का प्रावधान है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 – इसके तहत बाल –विवाह पर प्रतिबन्ध है। कोई व्यक्ति,

यदि वह पुरूष है और उसने अपनी आयु के 21 वर्ष पूरे नहीं किये है और यदि वह स्त्री है तथा अपनी आयु के 18 वर्श पूरे नहीं कर लिए है तो उन्हें इस कानून के अनुसार बालक बालिका के रूप में स्वीकार किया जायेगा। बाल –विवाह सम्पन्न करना संज्ञेय अपराध है।

गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 – चिकित्सकीय गर्भपात –अधिनियम 1971 का प्रावधान इस लिए हुआ था कि गर्भवती माता को स्वास्थ्य, शक्ति और जीवन का खतरा न हो। इसी प्रकार प्रसवपूर्व, चिकित्सकीय नुस्खा तकनीक अधिनियम 1994 को निर्मित किया गया, जिसका उद्देश्य था प्रसव पूर्व चिकित्सकीय नुस्खा तकनीक के नियम को प्रयोग में लाना, ताकि जन्म पूर्व लिंग – निर्धारण जॉच की तकनीक के दुरूपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके, विशेषतः कन्या गर्भपात के मामलों में।

दहेज निरोधक अधिनियम 1961 – इस विधान के अन्तर्गत ये विशेष प्रावधान बनाये गये हैं कि यदि पति या उसका कोई रिश्तेदार, वधू या उसके रिश्तेदारों से विवाह से पूर्व या विवाह के समय या विवाह के बाद किसी वस्तु या सम्पत्ति की मॉग करता है तो वह देहज माना जायेगा और दोषियों को दण्डित किया जायेगा। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 498 ए के अनुसार क्रूरता या या अत्याचार कभी शारीरिक स्तर पर नहीं भी हो सकता है, मानसिक पीड़ा को भी क्रूरता तथा अत्याचार की श्रेणी में रखा गया है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम 2005 – घरेलू हिंसा की पहचान करने और इस घरेलू हिंसा के विरूद्ध विधान को सांविधानिक रूप देने की आवश्यकता को समाज, राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश के विभिन्न भागों में महसूस किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक,सांस्कृतिक, जातीय तथा धार्मिक पृष्ठाधार से पीड़ा के शिकार हैं, जिनमें बच्चों और बूढ़े भी शामिल हैं। घरेलू हिंसा से क्षुब्ध व्यक्तियों में अधिकांश महिलाएँ हैं जो अपने ही घर के भीतर मारपीट की शिकार होती हैं। इस प्रसंग में महिलाओं को केवल पति ही नहीं, वरन् परिवार के अन्य सदस्य भी मारते पीटते हैं। घरेलू हिंसा लिंग समता में सबसे अधिक बाधा है। यह महिलाओं के लिए उनके समान संरक्षण के कानूनी मौलिक अधिकार के साथ जीने के अधिकार भी देता है।

महिला सशक्तिकरण के लिए वैधानिक हस्तक्षेप की रणनीति महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य के लिए वैधानिक हस्तक्षेप के अनेक स्वरूप उपलब्ध हैं। भारतीय संविधान के अनुसार पुरूषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर दिये गये हैं। कानूनी पद्धति ने महिला को सबल करने का प्रयत्न किया है और उन्हें सभी प्रकार की क्रूरता और हिंसा के विरूद्ध दीवानी और फौजदारी समाधान की पर्याप्त सूविधाएँ दी गयी हैं। भारतीय संविधान–संहिता नारी सशक्तिकरण के लिए उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करती है जहॉ नारी का यौन शोषण, नारी को अश्लील प्रतिनिधित्व या विज्ञापन, नारी का शीलहरण, दहेज के कारण तथा हत्या इत्यादि हों।

केवल संविधान से ही सामाजिक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। इसमें सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन के भाव को भी साथ लेकर चलना होगा। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को शिक्षा दी जाय और उन्हें उन कानूनों से परिचित कराया जाय जो उनके लिए बनाये

गये हैं। भारत की अधिकतर महिलाएँ उनके लिए बने इन कानूनों से अपरिचित हैं। महिलाओं के साथ सामाजिक संगठन, सरकार, मीडिया, स्वयं सेवी संगठन, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं को अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कौशिक आशा '' नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ, पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर 2004 पृष्ठ 123।

2. रावत ब्रजमोहन '' नारी समानता एवं सशक्तिकरण, 1990 के दषक मे उत्तरांचल में सामाजिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन, अप्रकाशित शोध ग्रन्थ हे0 नं0 व0 ग0 वि0 वि0 री नगर गढ़वाल, 2004, पृष्ठ 78।

3 लवानिया एम0 एन0 '' भारतीय सामाजिक संस्थाएँ'', रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर 1997 पृष्ठ 274।

4 मुखर्जी रविन्द्रनाथ '' भारत में सामाजिक स्तरीकरण,'' विवेक प्रकाशन जवाहर नगर, दिल्ली 1984 पृष्ठ 284 ।

5 शर्मा ओमप्रकाश, '' समकालीन महिला लेखन'' पूजा प्रकाशन एवं रवामा पब्लिशर्स, दिल्ली 2002 पृष्ठ 68।